

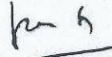
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2(क)(N-196) अलेसे-1/ 81

दिनांक:- 09-05-19

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक 77 दिनांक 02.05.2019 के पैरा संख्या 3 में उल्लेखित "वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी के विरुद्ध आज तक" के स्थान पर "वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नीरज शर्मा के विरुद्ध आज तक" पढ़ा जावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

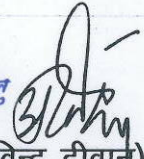
क्रमांक:- एफ.2(क)(N-196) अलेसे-1/ 81

दिनांक:- 09-05-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर।
3. कोषाधिकारी, भरतपुर।
4. श्री नीरज शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/वरिष्ठता सीट।

7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)